न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 684 / 2023

अनवान : –

1. कृष्ण पुरी पुत्र रमेश पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रमेश पुरी पुत्र सज्जन पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र रमेश पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खसरा नं. 9 की कुल 53 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी के दादा सज्जन पुरी पुत्र बिड़द पुरी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसकी वादी के दादा ने जीवन काल में वसीयत की जिसमें 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि की वसीयत अपने पुत्र रमेश पुरी के पक्ष में तथा शेष 30 बीघा भूमि की वसीयत अपने पौत्र विनोद पुरी व कृष्ण पुरी पुत्रगण रमेश पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर के पक्ष में करवाई थी जो दिनांक 02.09.2013 को तहरीर व तस्दीक हुई बाद वसीयत वादी के दादा ने उपरोक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि जरिये बैयनामा बेचान कर दी तथा बाद बैयनामा वादी के दादा के पास कुल 50 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष रही। वादी के दादा सज्जन पुरी का दिनांक 13.08.2021 को स्वर्गवास हो चुका है।

वादी के दादा सज्जन पुरी के देहान्त के बाद मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए श्रीमान् तहसीलदार राजस्व खुईयां में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 25.06.2022 श्रीमान् तहसीलदार खुईया द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारीत किया गया व दिनांक 03.08.2023 को रहन मुक्त हुआ। वाद भूमि में 3 बीघा भूमि का अन्तर होने के कारण से नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया इसलिए वादी द्वारा रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 471 / 341 की कुल 16.4960 है0 भूमि में से 12701 / 16496 हिस्सा भूमि वादी के दादा के नाम दर्ज है जिसमें से [illegible] 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व शेष भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के [illegible] है0 [illegible] दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा वसीयत भूमि का नामान्तरण रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 471/341 की कुल 16.4960 है0 भूमि में से 12701/16496 हिस्सा भूमि में वादी के दादा मृतक सज्जनपुरी पुत्र बिड़दपुरी का नाम कलमजन करवाकर उपरोक्त भूमि से 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व शेष भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज करवा दे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल–आजकल करते रहे आखिरकार बमुकाम सिरंगसर तहसील नोहर में साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखास्मत हैं।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वसीयत के संबंध में श्री भगवानाराम पुत्र जोतराम जाति भारती ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दिये जो की बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मूल वसीयत प्रदर्श–1, मृत्युप्रमाण पत्र सजनपुरी प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र गवाह प्रभुराम प्रदर्श–3, जमाबंदी सिरंगसर खाता संख्या 471 प्रदर्श–4, फर्द अहकाम व वसीयत आदेश व प्रार्थना पत्र गवाहन बयान की प्रमाणित प्रतिलिपी मय शपथ पत्र प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय दिनांक 26.05.2022 प्रदर्श–5 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा के नाम दर्ज है वादी के दादा ने जीवन काल में वसीयत की जिसमें 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि की वसीयत अपने पुत्र रमेश पुरी के पक्ष में तथा शेष 30 बीघा भूमि की वसीयत अपने पौत्र विनोद पुरी व कृष्ण पुरी पुत्रगण रमेश पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर के पक्ष में करवाई थी जो दिनांक 02.09.2013 को तहरीर व तस्दीक हुई। वसीयत वादी के दादा ने उपरोक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि जरिये बैयनामा [illegible] बैयनामा वादी के दादा के पास कुल 50 बीघा 4 बिस्वा भूमि शेष रही। वादी के दादा सज्जन पुरी का दिनांक 13.08.2021 को स्वर्गवास हो चुका है। श्रीमान् तहसीलदार राजस्व खुईयां में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाद सुनवाई दिनांक 25.06.2022 श्रीमान् तहसीलदार खुईया द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारीत किया गया व दिनांक 03.08.2023 को रहन मुक्त हुआ। वाद भूमि में 3 बीघा भूमि का अन्तर होने के कारण से नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया इसलिए वादी द्वारा रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 471/341 की कुल 16.4960 है0 भूमि में से 12701/16496 हिस्सा भूमि वादी के दादा के नाम दर्ज है जिसमें से 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व शेष भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 471/341 की कुल 16.4960 हैक्ट भूमि वादी के दादा सज्जनपुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार राजस्व खुईयां में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 25.06.2022 श्रीमान् तहसीलदार खुईया द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारीत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश तहसीलदार राजस्व खुईयां के द्वारा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारीत किया गया। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण के अनुसार उक्त वाद भूमि में से सज्जन पुरी द्वारा 03 बीघा भूमि का बेचान किया गया है। वर्तमान में वाद भूमि 50 बीघा 04 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयत से साबित है कि उक्त वाद भूमि की वसीयत अपने पौत्र विनोद पुत्री व कृष्ण पुरी के पक्ष में निष्पादित की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि में से 3 बिघा भूमि का वसीयतकर्ता ने बैचान कर दिया था। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि के बेचान के बाद जो भूमि शेष बची है मुताबिक पारिवारिक समझौता वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज की जावे। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 471/341 की कुल 16.4960 है0 भूमि में से 12701/16496 हिस्सा भूमि में वादी के दादा मृत[illegible] का नाम कलमजन किया जाकर 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी [illegible] व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घो[illegible]दि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि [illegible] स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 684/2023

अनवान : –

1. कृष्ण पुरी पुत्र रमेश पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रमेश पुरी पुत्र सज्जन पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र रमेश पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 684 सन 2023 निर्णय दिनांक 28/12/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 471/341 की कुल 16.4960 है0 भूमि में से 12701/16496 हिस्सा भूमि में वादी के दादा मृतक सज्जनपुरी पुत्र बिड़दपुरी का नाम कलमजन किया जाकर 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व शेष भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested